

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 607 / 2010 / झालावाड़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, झालावाड़।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुखदेव सिंह पुत्र श्री रुडसिंह,
गुरुदासपुर, पंजाब।

वाहन चालक C/o निटको प्रा0लि0, जम्मू।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह— सदस्य

उपस्थित : :

श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24 / 01 / 2014

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, झालावाड़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 24 / आरवैट / एनआरडी / 2007-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.09.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।


2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2007 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, झालावाड़ द्वारा वाहन संख्या एचआर-38एल/3587 को चेन्नई से डब्बाली, सिरसा (हरियाणा) जाते समय झालरापाटन-झालावाड़ रोड़ पर चैक किया। वाहन में लदे माल के दस्तावेज मांगे जाने पर मैसर्स हिमालिया फ्रेट कैरियर, चैन्नई की बिल्टी नं0 865 व 866 एवं मैसर्स मिनाची ट्रेडर्स का बिल नम्बर 45 एवं एजाज एसोसिएट का बिल नम्बर 363 जांच हेतु प्रस्तुत किया। वाहन चालक/मालप्रभारी से पूछताछ पर वाहन में उक्त घोषित माल के अलावा कोई अन्य माल होना जाहिर नहीं किया अधिक माल होने के संदेह पर वाहन को धारा 76(4) व 76(5)(ए) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत डिटेन किया। दिनांक 22.03.2007 को भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित वाहन चालक/मालप्रभारी श्री सुखदेव सिंह द्वारा मैसर्स ग्रीव्ज कॉटन लिमिटेड, गुमिदि पुण्डि, चैन्नई का बिल नं0 56 आर एवं मैसर्स प्रकाश पार्सल सर्विस बेंगलोर की बिल्टी नं0 9138752 दिनांक 27.02.2007 पेश कि जिसके अनुसार रूपये 14,75,538/- का पम्प एवं एसेसरिज होना घोषित है। वाहन चालक द्वारा मैसर्स हिमालिया फ्रेट कैरियर, चैन्नई की बिल्टी नं0 865 व 866 एवं मैसर्स मिनाची ट्रेडर्स का बिल नं0 45 एवं एजाज एसोसिएट का बिल नं0 363 की चैक पोस्ट रायपुर से टी.पी. नं0 06050086445

दिनांक 19.03.2007 को बनवाई। वाहन में लदे शेष माल पम्प एवं एसेसरीज के प्रेषक फर्म मैसर्स ग्रीव्ज कॉटन लि०, गुमिदि पुण्डि, चैन्नई का बिल नं० 56 आर एवं मैसर्स प्रकाश पार्सल सर्विस बेंगलोर की बिल्टी नं० 9138752 दिनांक 27.02.2007 रूपये 14,75,538/- क्रेता फर्म मैसर्स हरीश चन्द्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर, अमृतसर से संबंधित दस्तावेजों की टी.पी. चैक पोस्ट रायपुर पर नहीं बनवाई गई। कर निर्धारण अधिकारी ने पम्प एवं एसेसरीज के माल की टी.पी. नहीं बनवाने को धारा 78(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 का नोटिस जारी किया गया। नोटिस लेने से इन्कार करने पर तथा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 78(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत माल एसेसरीज कीमत रूपये 14,75,538/- पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,84,442/- एवं दोगुनी शास्ति रूपये 3,68,885/- कुल मांग रूपये 5,53,327/- आरोपित कर दी गयी। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष अपील पेश की। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व शास्ति को अनुचित बताते हुए अपास्त कर दी गयी एवं अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर ली गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपनी बहस में बताया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा चैक पोस्ट से गुजरते हुये केवल Leather सामान की ट्राजिंट पास बनायी गयी तथा पम्प एवं एसेसरीज की कोई ट्राजिंट पास नहीं बनायी गयी। यह माल प्रभारी/वाहन चालक की गलत मानसिकता को दर्शाता है। उपराजकीय अभिभाषक के अनुसार राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जाने वाले वाहन चालकों को धारा 78(1) के तहत ट्राजिंट पास बनवाना आवश्यक (Mandatory) है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 78(1) ऑफ वेट एक्ट के प्रावधानों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनके अनुसार 78(1) निम्न प्रकार है /-

78. Transit of goods by road through the State and issue of transit pass.- (1) Where a vehicle or carrier coming from any place outside the State and bound for any place outside the State and carrying any goods bound for any place outside the State, passes through the State, the owner, the driver or the person incharge of such vehicle or carrier or goods shall obtain in such manner and on payment of such fee, as may be prescribed, a transit pass for such goods from the Incharge of the first check-post or barrier after his entry into the State and deliver it to the Incharge of the last check-post or barrier before his exit from the State.



इस धारा के अध्ययन से स्पष्ट है कि इसके तहत वाहन चालक के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वह राज्य के बाहर से लाये गये माल को यदि राज्य के बाहर ले जाता है तो ट्राजिंट पास नहीं बनवाये। ट्राजिंट पास बनवाना Mendotry है। यहा उसके द्वारा एक माल Leather goods की ट्राजिंट पास बनवाली परन्तु पम्प व एसेसरीज की ट्राजिंट पास नहीं बनवायी। तथा रोककर पूछताछ करने पर भी ऐसा माल का होना घोषित नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में इन तथ्यों से पूर्णतया नजर अन्दाज कर गलत तथ्यों पर आदेश पारित करने में भूल की है। इसी तरह अपीलीय अधिकारी ने धारा 78(3) की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया 78(3) इस प्रकार है :-

78(3) Where such owner, driver or person incharge fails to deliver such transit pass in respect of any goods in accordance with the provisions of sub-section (1) or is found to have suppressed or given false particulars of any consignment of goods in his application for issue of transit pass, it shall be presumed that such goods have been sold within the State by the owner, the driver or the person incharge of the vehicle or the carrier or the goods and the Incharge of the check-post or barrier from where such transit pass was issued or an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorized by the Commissioner, after having afforded an opportunity of being heard to such owner, driver or person incharge, shall make an order that notwithstanding anything contained in this Act, such owner, driver or person incharge shall pay tax on such sale together with the penalty equal to double the amount of such tax.

इस प्रावधान के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ट्राजिंट पास के अभाव में यह माना जावेगा कि माल राज्य में unload कर दिया जावेगा। अपीलीय अधिकारी ने इस प्रावधान पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

आगे कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था परन्तु नियत दिवस को उसके द्वारा उपस्थित होकर कोई जावब पेश नहीं किया। अतः यह कहना अनुचित है कि बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कर व शास्ति आरोपित कर दी गयी।

उन्होंने आगे कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा मध्यप्रदेश की चैक पोस्ट डूंगरगढ़ पर भी पम्प व एसेसरीज की ट्राजिंट पास नहीं बनायी गयी थी। इस सम्बन्ध में जांच भी की गयी थी। इससे प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर चोरी की नियत ओर स्पष्ट होती है।

लगातार.....4



उक्त आधार पर उप राजकीय अभिभाषक ने आरोपित कर व शास्ति को पूर्णतया उचित व विधि अनुसार आरोपित करना बताया तथा अपीलीय अधिकारी निर्णय को त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक होना बताकर अपास्त करने व कर निर्धारण अधिकारी के फैसले को कायम करने की प्रार्थन की।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क में कथन किया कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से लाया जाकर राज्य के बाहर ले जाया जा रहा था इसमें राजस्थान राज्य में unload करना कर निर्धारण अधिकारी ने साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 1998-108-एसटीसी-490 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के निर्णय लागू होते हैं। अतः उपायुक्त (अपील्स) द्वारा उचित रूप से आरोपित कर को अपास्त किया गया है। अतः उसे कायम रखा जावे। तथा विभाग की अपील को खारिज किया जावे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वाहन में दो तरह का माल था। Leather goods की ट्राजिंट पास राज्य के प्रवेश चैक पोस्ट पर बनवायी गयी परन्तु पम्प व एसेसरीज की ट्राजिंट पास नहीं बनवायी गयी। धारा 78(1) के प्रावधान व धारा 78(3) के प्रावधानों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि ट्राजिंट पास बनवाने का प्रावधान उन्हीं वाहन चालकों/माल प्रभारीयों के लिए बनाया गया है जो कि राज्य के बाहर से माल लाकर राज्य के बाहर ले जाते हैं। यदि उनके द्वारा ट्राजिंट पास नहीं बनवायी जाती है तो यह प्रावधानों का उल्लंघन है। इसमें इन प्रावधानों के बाहर कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिये। धारा 76(6) के तहत जो प्रावधान है उनके सम्बन्ध में 1998-108-एसटीसी-490 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का निर्णय लागू होता है, न कि धारा 78(3) के प्रावधानों पर। 1998-108-एसटीसी-490 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी में धारा 78(3) के प्रावधानों पर कोई विचार नहीं किया गया था। अतः यह निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है अपीलीय अधिकारी द्वारा इसको आधार बनाकर कर, शास्ति को अपास्त किया गया है। जो उचित नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल्टी नं० 9138752 मैसर्स प्रकाश पार्सल सर्विस बेंगलोर दिनांक 27.02.2007 बिल नं. 56 आर मैसर्स ग्रीब्ज कॉटन लिमिटेड, गुमिदि पुण्डि, चैन्नई एवं माल कीमतन 14,75,538/- का ट्राजिंट पास नहीं बनाया गया, उस पर जो कर रूपये 1,84,442/- व शास्ति रूपये 3,68,885/- कुल मांग रूपये 5,53,327/- धारा 78(3) के तहत आरोपित की गयी है वह नियमानुसार आरोपित की गई थी। अतः उसे कायम रखा जाता है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

7. फलतः विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


24-1-14

(अमर सिंह)

सदस्य